राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर

प्रबन्ध मण्डल की 60वीं बैठक दिनांक 17.6.2005 को प्रातः 9.00 बजे सभागार, **प्रशासनिक कार्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय,बीकानेर में आयोजित** की गई का **कार्यवाही विवरण ।**

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थेः–

1.	प्रो0 परमात्मा सिंह	अध्यक्ष
2.	डॉ0 पी.सी. जैन	सदस्य
3.	डॉ0 ए0के0 गहलोत	,, ,,
4.	डॉ0 ए.के. दहामा	,, ,,
5.	डॉ0 हनुमान प्रसाद	,, ,,
6.	डॉ0 एस. जे. सिंह	,, ,,
7.	डॉ0 एस.के.शर्मा	,, ,,
8.	श्री एम0 डी0 देथा	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित

श्री एल.एन. गहलोत, वित्त नियंत्रक

प्रमुख शासन सचिव कृषि उत्पादन, प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा, शासन सचिव पशुपालन, निदेशक कृषि, डॉ0 आर. पी. सिंह, डॉ0 एल. एल. शर्मा, श्री विक्रम आदित्य आहूजा, डॉ0 डी. जी. धन्धर ने बैठक में भाग नहीं लिया।

बैठक के प्रारंभ में कुलपति ने डॉ0 पी.सी. जैन, डॉ0 ए.के. दहामा व डॉ0 एस. के. शर्मा के नये सदस्य मनोनीत होने पर स्वागत किया । निवृतमान सदस्यों डॉ0 जी. डी. सिंह, डॉ0 (श्रीमती) मधु गोयल, डॉ0 (श्रीमती) अर्चना राज सिंह, श्री रामप्रताप कासनिया, विधायक व श्री मनोहर लाल बिश्नोई द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की।

राकृवि / बोम–60 / 2005–3 / 972	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 25.1.2005 व 23.3.2005 के कार्यवाही विवरण को पुष्टि करने बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि पुष्टि की जाए।**

राकृवि / बोम–60 / 2005–3 / 973	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 25.1.2005 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि कार्यवाही विवरण के बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही को नोट कर लिया जाए ।**
राकृवि / बोम–60 / 2005–3 / 974	वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.06.2005 के कार्यवाही विवरण को पुष्टि करने बाबत् । **पारित (Resolved) किया गया कि पुष्टि की जाए।**
राकृवि / बोम–60 / 2005–3 / 975	विश्वविद्यालय का आय व्यय अनुमान वर्ष 2005–06 संशोधित अनुमान वर्ष 2004–05 का अनुमोदनार्थ । **पारित (Resolved) किया गया कि अनुमोदन किया जाए।**
राकृवि / बोम–60 / 2005–3 / 976	माननीय कुलपति महोदय द्वारा जारी आदेशों की पुष्टि करने बाबत । 1. कमांक एफ / सीओई / राकृवि / सिकरेसी / यूएम / 2005 / 38–54 दिनांक 16.2.2005 (दो छात्रों को नकल (Unfairmeans)करते पकडे जाने के संबंध में)। 2. कमांक एफ.4 (1–आर) (20) / राकृवि / सी / 91 / 1095–1145 दिनांक 7 / 14.5.2005 (संशोधित मकान किराया भत्ता के संबंध में)। 3. कमांक एफ(64)पीएमआरएफ / ग्रुप–5 / 2005 / 35–39 दिनांक 26 / 27.4.2005 (सेवा निवृत कर्मचारी / अधिकारी / शिक्षक को दिये गये 2004–05 में मेडिकल राशि के संबंध में)। **पारित (Resolved) किया गया कि पुष्टि की जाए।**

राकृवि / बोम–60 / 2005–3 / 977	प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त प्रत्र क्रमांक एफ 27 (4)आरबी / 2000 / 3352 दिनांक 11.5.2005 के अनुसार बाईपास हेतु विश्वविद्यालय की भूमि (5.9 हैक्टेयर सड़क में 11 है0 सड़के के उस ओर रहेगी) के बदले यदि उद्यानिकी (होर्टिकल्चर) की 22 हैक्टेयर भूमि मिल जाती है तो अनुसंधान पर जमीन के अभाव के कारण विपरीत प्रभाव की भरपाई हो सकेगी। बाईपास के उस ओर रहने वाली भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क व्यावसायिक प्रयोजन हेतु रूपान्तरण कर नीलाम किया जाएगा, जिसमें से 20 प्रतिशत राशि जयपुर विकास प्राधिकरण की होगी तथा 80 प्रतिशत राशि विश्वविद्यालय की होगी। होर्टिकल्चर को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 22 हैक्टेयर भूमि जगतपुरा में आरक्षित दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। आरक्षित दर का भुगतान बाईपास के उस ओर रहने वाली भूमि की व्यवसायिक प्रयोजन हेतु नीलामी से प्राप्त राशि में से किया जाएगा। इस हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध होगा। विचारार्थ प्रस्तुत है। **पारित (Resolved) किया गया कि स्टेज–वाइज (चरणवार) कार्यवाही निम्न प्रकार होगी :** **1. विश्वविद्यालय की भूमि (5.9 है0 सड़क हेतु एवम् 11 है0 सड़क के उस ओर रहने वाली) सड़क हेतु देने से पूर्व उद्यान विभाग की 22 है0 भूमि विश्वविद्यालय को सुपुर्द की जाए ।** **2. सड़क में जाने वाली भूमि के किनारे–किनारे विश्वविद्यालय की भूमि की तरफ विश्वविद्यालय भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण 8 फिट ऊंची दीवार मय उसके उपर ऐंगल तारबन्दी निर्मित कर दे ताकि फार्म की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके ।**

	आगे यह भी पारित **(Resolved)** किया गया कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही होने पर प्रस्ताव की सहमति / अनुमति दी जाती है।
राकृवि / बोम–60 / 2005–1 / 978	शैक्षणिक परिषद की बैठक दिनांक 15.6.2005 के कार्यवाही विवरण को पुष्टि करने बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि मद संख्या AU/AC-23/2005-2/10 (जो कि I.A.B.M. के बारे में है) की दसवीं लाईन के अन्त में MET के स्थान पर MAT/CAT/Entrance test पढ़ा जाएं । उपरोक्त रूपान्तरण के अतिरिक्त शेष कार्यवाही विवरण की यथा– प्रस्तावना पुष्टि की जाती है।**
राकृवि / बोम–60 / 2005–1 / 979	पशु पालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त पत्र कमांक प.8(2)पपा / 92–पार्ट दिनांक 1.6.2005 के द्वारा वर्ष 2005–06 में दी गई राशि रूपये 2.00 लाख के बजट प्रावधान के तहत चारा अनुसंधान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना । **पारित (Resolved) किया गया कि** 1. **पशुपालन विभाग को राशि भेजने हेतु लिखा जाए ।** 2. **निदेशक कृषि अनुसंधान, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, पशु पालन विभाग को कार्ययोजना प्रेषित करें ।**
राकृवि / बोम–60 / 2005–1 / 980	डा. गोपाल लाल, पूर्व सहायक आचार्य, उद्यान श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के सेवांत हितलाभ (Terminal Benefits) स्थानान्तरण के संबंध में । **पारित (Resolved) किया गया कि नियमानुसार कार्यवाही की जाए ।**

राकृवि / बोम–60 / 2005–1 / 981	प्रबन्ध मण्डल की मद संख्या AU/BOM-55/2004-1/925 दिनांक 26.2.2004 के कार्यवृत में संशोधन बाबत (जो कि राजस्थान सरकार (तीन पत्र) एवम् ICAR (दो पत्र) द्वारा जारी पत्रों के संदर्भ में था) । **पारित (Resolved) किया गया कि मद संख्या AU/BOM-55/2004-1/925 में पारित (Resolved) प्रस्ताव के अन्त में ।** **''जहां भी विधि में ऐसा करना है अपेक्षित हो'' जोड़ा जाए और पूर्व प्रस्ताव में ''Act'' शब्द विलोपित किया जाए ।**
राकृवि / बोम–60 / 2005–1 / 982	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर स्थित सी.वी.ए.एस. एवं बीछवाल परिसर में पूर्व आंवटित आवासों की सूची ''अ'' व ''ब '' प्रबन्ध मण्डल द्वारा अनुमोदनार्थ । **पारित (Resolved) किया गया कि पुष्टि की जाए। आगे यह भी पारित (Resolved) किया गया कि आवश्यकतानुसार निर्धारित वेतन श्रृंखला से एक वेतन श्रृंखला नीचे तक आवास आवंटन हेतु विचार किया जाए।**
राकृवि / बोम–60 / 2005–1 / 983	विश्वविद्यालय के आदेश : 1. कमांक प.83 / राकृवि / स्था. / ग्रुप–2 / 04 / 1629 दिनांक 3.8.2004 का पत्र दिनांक 17.10.2003 के पत्र में वर्णित कार्मिको के सम–प्रकृति के प्रकरण (धारित पद के अनुरूप वेतन प्राप्त नहीं करने वाले कार्मिको के प्रकरण)। 2. प. / राकृवि / स्था. / ग्रुप–2 / 2004 / 2065 दिनांक 12.10.2004 (धारित पद के अनुरूप योग्यता नहीं रखने वाले कार्मिको के प्रकरण)।

3. F./RAU/Estt/Gr.II/ 05/201 दिनांक 26.2.2005 (employees whose appointment orders is with co-termination with the Projects) ।

4. तथा विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक F. / RAU/Estt/Gr.II/03/572 दिनांक 6/ 9.12.2003 के अनुसार :

(i) ऐसे कार्मिक जिनके पदोन्नती आदेशों में तदर्थ अंकित है, किन्तु पदोन्नती से पूर्व कनिष्ठ पद पर नियमित कार्मिक थे।

(ii) कार्मिक जो संम्यक रूप से गठित कमेटी द्वारा चयनित थे, किन्तु आदेश तदर्थ के जारी हुए (वेतन विसंगति तथा सेवा प्रकरणों के बारे में)।

की पालना में दिनांक 30.5.2005 को आयोजित गठित समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण, विश्वविद्यालय विधि सलाहाकार की प्रकरण में राय एवंम वित्त नियंत्रक, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर की वित्तीय व्यय भार संबंधित सूचना विचारार्थ एवं आदेश पुष्टि हेतु प्रस्तुत हैं ।

पारित (Resolved) किया गया कि आदेशों की पुष्टि की जाती है । आगे यह भी पारित (Resolved) किया कि कार्यवाही विवरण दिनांक 30.5.2005 का अनुमोदन किया जाता है। आगे यह और पारित (Resolved) किया गया कि विधि सलाहकार की राय को दृष्टिगत रख कर कार्यवाही विवरण दिनांक 30.5.2005 की प्रस्तावना के अनुसार प्रकरणों के निस्तारण हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जाए ।

राकृवि / बोम–60 / 2005–1 / 984	माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रसारित आदेश की पुष्टि हेतु :– 1. क्रमांक स्था / ग्रुप–2 / राकृवि / 2004 / 2066 दिनांक 12.10.2004 (श्री तुलसी राम शर्मा पोल्ट्री सहायक के प्रकरण के संदर्भ में)। **पारित (Resolved) किया गया कि पुष्टि की जाए।**
राकृवि / बोम–60 / 2005–1 / 985	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली का पत्र : 1. क्रमांक एफ.3–3 / 2000(पीएस) दिनांक 17 जुलाई, 2003 (Appointment of teaching staff in Universities and Colleges regarding) । 2. एफ 1–1 / 2003 (पीएस) मीटिंग दिनांक 09. 12.2004 प्रबन्ध मण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत है (General criteria for giving exemption from NET regarding)। **पारित (Resolved) किया गया कि नोट कर लिया जाए।**
राकृवि / बोम–60 / 2005–1 / 986	अन्य कोई प्रकरण होतो माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति होने पर विचार करने बाबत । 1. आसन द्वारा बताया गया कि परिनियम 12(v) के अन्तर्गत पूर्व में डॉ0 एस.एन. पाण्डेय को चयन समिति हेतु प्रबन्ध मण्डल ने नामांकित किया था डॉ0 पाण्डेय ने आने में असमर्थता व्यक्त कर दी है । ICAR Panel के नामों में से नया नाम नामांकित करने का अनुरोध किया गया । **पारित (Resolved) किया गया कि डॉ0 वी.पी. चित्रांशी को उक्त प्रयोजन हेतु नामांकित किया जाता है।**

	2. आसन द्वारा परिनियम 12 (vi) के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञों की सूची अनुमोदित करने का अनुरोध किया गया । **पारित (Resolved) किया गया कि अनुमोदन किया जाएं ।** 3. डॉ0 ए.के. गहलोत सदस्य ने प्रस्ताव किया कि विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार भविष्य निधि एक्ट विश्वविद्यालय पर लागू है और इस कारण EPF/UPF की कटोतियां तद्नुसार उसके प्रावधानों के अनुसार मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते दोनों पर 12 प्रतिशत की दर से कटोतियां की जाएं । **पारित (Resolved) किया गया कि प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाही की जाएं।** 4. सेवा निवृत कार्मिकों की सेवाए लेने बाबत आसन द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय में जुलाई 2005 के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य हेतु नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों में से एक ही कार्यरत रहेगा । इस समय भी इसमें काफी कमी है लगभग 30 अधिकारियों के विरूद्ध इस समय भी केवल दो अधिकारी ही कार्यरत है ऐसी स्थिति में कार्यकरण में कठिनाईयां रहती है। इसी तरह की समस्या और जगहों पर भी है इसका निराकरण करने के लिए सेवा निवृत कार्मिकों की सेवा लेने पर विचार किया गया । **विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् पारित (Resolved) किया गया कि कुलपति महोदय को अधिकृत किया जाता है कि जब और जैसी आवश्यकता हो सेवा निवृत शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कार्मिकों की सेवाए**

	निश्चित मानदेय/संविदा दर पर निश्चित अवधि हेतु ली जाए । 5. स्नातकोत्तर परीक्षाओं में संशोधित मानदेय के बारे में । **अधिष्ठाता स्नातकोत्तर द्वारा यथाप्रस्तावना अनुमोदन किया जाएं।** 6. डॉ0 जे.पी. अग्निहोत्री सेवानिवृत प्रोफेसर की पूर्व सेवाओं की पेंशन हेतु गणना करने बाबत । **पारित (Resolved) किया गया कि इस तरह के समस्त प्रकरणों में पूर्व सेवाओं की गणना नियमानुसार कर प्रकरण निस्तारित किए जाएं ।** **7.** भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर का निरीक्षण किया गया था उसका प्रतिवेदन एवं उस पर की गई कार्यवाही को डॉ0 ए.के. गहलोत द्वारा बताया गया । **पारित (Resolved) किया गया कि नोट कर लिया जाए ।** डॉ0 ए.के. गहलोत ने सीमा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु चिकित्सा एव पशु विज्ञान महाविद्यालय में हुए कार्य और इस महाविद्यालय की विकासात्मक गतिविधियों पर प्रकाश डाला। डॉ0 हनुमान प्रसाद सदस्य ने के.वी.के. झुन्झुनु की विकासात्मक गतिविधियों पर प्रकाश डाला। डॉ0 ए.के. दहामा सदस्य ने कृषि व्यवसाय प्रबन्धन संस्थान की विकासात्मक गतिविधियों

	पर प्रकाश डाला। डॉ0 दहामा ने Placement Cell की गतिविधियों पर भी प्रकाश डाला। डॉ0 दहामा ने कृषि व्यवसाय प्रबन्धन के प्रति बढ़ते रूझान को भी निरूपित किया।

आसन के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(एम0 डी0 देथा)
कुलसचिव एवं सदस्य सचिव

(परमात्मा सिंह)
कुलपति एवम् अध्यक्ष